

(च) यह कि जब पट्टाग्रहीता का स्वत्व किसी तरह से अन्तरित हो तो इसकी सूचना पट्टादाता को लिखित में अन्तरण से तीन माह के भीतर दी जायेगी। पट्टाग्रहीता की मृत्यु की दशा में मृत्यु की सूचना तीन माह में उस व्यक्ति द्वारा दी जायेगी, जिसे मृतक से स्वत्व प्राप्त हो या उत्तराधिकार प्राप्त हो। अन्तरण की सूचना तीन माह में बिना समुचित कारण के नहीं दी जाती है तो पट्टाग्रहीता या अन्तरिती एक सौ 100/-रूपये अदा करने का भागी हो सकेगा। हस्तान्तरण या

उत्तराधिकार के सम्बन्ध में साक्ष्यार्थ लेखापत्रों की प्रामाणित प्रतियाँ भी पट्टादाता को दी जायेंगी।

(छ) यह कि पट्टाग्रहीता सदैव समय पर ऐसे समस्त स्थानीय करों, अन्य करों, प्रभारों और प्रत्येक प्रकार के निर्धारित करों का भुगतान करेगा जो भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन पर या उससे संबंधित भूस्वामी या भाटकधारी पर निर्धारित, प्रस्तुत

किये गये हैं या लगाये गये हैं अथवा इस पट्टे के चालू रहते निर्धारित, प्रस्तुत किये जावें या लगाये जावें।

(ज) यह कि पट्टे पर दिये गयेके सम्बन्ध में अदत्त (अनपेड) नगरीय भूमि कर/अन्य प्रभार्य कर तथा अन्य धनराशि की वसूली भू-राजस्व की अदत्त धनराशि की भांति की जा सकेगी।

(झ) पट्टाग्रहीता, पट्टादाता की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिनापर कोई निर्माण, परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा। पट्टाग्रहीता, पट्टादाता के लिखित पूर्वानुमति के बिना पट्टान्तरित भूखण्ड पर या उस निर्मित भवन में किसी प्रकार का ऐसा व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा या करने देगा और निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा या करने देगा जो पट्टादाता की राय में पट्टादाता के लिए या पड़ोस में रहने वालों/व्यवसाय करने वाले या वहाँ स्थित आमजन के लिए न्यूसेंस, विक्षोभ या त्रास का कारण हो, परन्तु यदि पट्टादाता भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन का उपयोग निर्धारित से भिन्न करने का इच्छुक है तो पट्टादाता ऐ से निबन्ध एवं शर्तों के अधीन जिसमें अतिरिक्त अधिशुल्क और अतिरिक्त भाटक का भुगतान सम्मिलित है पट्टादाता अपने विवेक से निर्धारित कर उपयोग के ऐसे परिवर्तन की अनुमति दे सकेगा।

.....
आंवटी/पट्टाग्रहीता के संस्था/पट्टादाता के

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(ज) पट्टाग्रहीता इस पट्टे की समाप्ति पर उक्त आवासीय तथा उस पर अवस्थित भवन शांतिपूर्वक पट्टादाता को समर्पित करेगा।

(III) यदि अधिशुल्क या निर्धारित वार्षिक नगरीय भूमिकर/अन्य प्रभार्य कर से समान कर की कोई धनराशि या उसका अंश किसी समय अदत्त रह जाये और 30 दिवस में चुकाने के नोटिस पर भी नहीं चुकाई जावे अथवा यह पता चले कि कोई तथ्य छिपाकर या मिथ्या कथन कर या छल करके यह पट्टा प्राप्त किया है तो इस पट्टे विलेख में किसी बात के होते हुए भी पट्टादाता इस पट्टे को निरस्त करने पर या भवन में प्रवेश कर उसे आधिपत्य में लेने को अधिकृत और उनके बाद पट्टाग्रहीता का कोई अधिकार भूखण्ड या भवन के सम्बन्ध में शेष नहीं रहेगा और पट्टादाता द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का या अधिशुल्क लौटाने को बाध्य नहीं होगा, परन्तु इसमें किसी बात के अर्न्तविष्ट होते हुए भी पट्टादाता पुनःअधिग्रहण के अधिकार बाद भी स्वःविवेक से शास्ति या ब्याज लगाकर धनराशि जमा करवाकर पट्टाग्रहीता के दोष को अपमार्जित कर सकेगा।

(IV) अपवर्तन (फोरफीचर) या पुनः प्रवेश तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक पट्टादाता द्वारा पट्टाग्रहीता के पट्टे के भंग किये जाने तथा उस भंग के उपचार के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुये समुचित नोटिस नहीं दिया गया हो। परन्तु इस भूखण्ड की कोई बात खण्ड II में उल्लेखित उप विभाजन, एकीकरण व हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रतिबन्धों व प्रसंविदाओं पर तथा किसी तथ्य को छिपाकर, मिथ्या कथन कर या कपट कर पट्टा प्राप्त किये जाने के मामलों में लागू नहीं होगी।

(V) नगरीय भूमि कर/अन्य प्रभार्य कर के निर्धारण का अधिकार एतद् द्वारा आरक्षित रखा गया है। प्रत्येक 15 वर्ष बाद संशोधित किया जा सकेगा, किन्तु वृद्धि 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक अन्तरण पर भी 25 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी।

(VI) पट्टादाता इस पट्टे के अधीन प्रयुक्त होने वाली समस्त शक्तियों या उसमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए संस्था/पट्टादाता अथवा अपने किसी अन्य अधिकारी को अधिकृत कर सकेगा।

(VII) इस पट्टे के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त सूचना पत्र, आदेश, निर्देश, सहमति, स्वीकृति या अनुमोदन लिखित में होंगे और ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जो पट्टादाता द्वारा प्राधिकृत हो एवं उन्हें भूखण्ड या उस पर बने भवन पर लगाकर, चिपका कर या पट्टाग्रहीता या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को दिये जाकर या उसके सम्बन्ध में ज्ञात स्थान पर चस्पा कर तामील कराया जा सकेगा और ऐसी तामील पर्याप्त होगी।

(VIII) इस विलेख में इससे पूर्व प्रयुक्त पदावली पट्टादाता और पट्टाग्रहीता में संदर्भान्तर्गत पट्टादाता की दशा में उसके उत्तराधिकारी और अभिहस्ताकिती (असाइनी) तथा पट्टाग्रहीताकी दशा में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक या वैध प्रतिनिधि या अन्तरिति या अन्य व्यक्ति जो पट्टाग्रहीता की हैसियत से दावा करें, शामिल होंगे।

(IX) यह पट्टा उत्तर प्रदेश के अधीन बनाये गये नियमों में शामिल शर्तों व निबन्धनों के अधीन रहते हुए शासन अनुदान अधिनियम, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट, 1895 के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

.....
आंवटी/पट्टाग्रहीता के संस्था/पट्टादाता के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर जिसके साक्ष्य में पट्टादाता के लिए उसकी ओर से तथा उसके आदेश और निर्देश से ----- ने हस्ताक्षर किये हे तथा पट्टाग्रहीता ने हस्ताक्षर किये है।

.....
आंवटी/पट्टाग्रहीता के संस्था/पट्टादाता के
हस्ताक्षर हस्ताक्षर

निर्दिष्ट अनुसूची

भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल.....वर्ग गज / वर्गमीटर योजनातहसील....
जनपद में स्थित है। जिसकी सीमायें व भुजायें निम्न प्रकार है।

उत्तर -

पूर्व -वर्ग गज / वर्ग मीटर

दक्षिण - कुल क्षेत्रफल

पश्चिम - और जोकीयोजना के ले-आउट के अनुसार
है।

प्रथम पक्ष की ओर से

द्वितीय पक्ष की ओर से

साक्षी -

(नाम, पिता का नाम व पता) हस्ताक्षर

साक्षी 1.

साक्षी 2.